राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6277/2022

महेन्द्र थपलियाल (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी199619027457)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.12.2022
आदेश की दिनांक : 19.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि अपीलार्थी जो सहायक अभियंता के पद पर प्रत्यर्थी विभाग में कार्यरत है, उनको आदेश दिनांक 06.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया था और निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 श्री ईश्वर सिंह को अपीलार्थी के स्थान पर कार्यालय सहायक अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में पदस्थापित किया गया। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 16.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय सहायक अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण पंचायत समिति नीमकाथाना, सीकर में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को नियम विरूद्ध तरीके से आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया और बाद में उसका स्थानांतरण किया गया, जो उचित नहीं है। केवलमात्र प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (Transferred Activities) रूल्स 2011 के प्रावधानों के विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, परंतु ऐसे

स्थानांतरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग की सहमति प्राप्त नहीं की गई।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा सर्व प्रथम तर्क राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन के सम्बन्ध में दिया गया है। इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 16.12.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। वर्तमान में राज्य सरकार मंत्री मण्डल सचिवालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प.11(1)मम/2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का बंटवारा व वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री के नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायतीराज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार कृषि मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायतीराज (आंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार स्वीकृति पंचायतीराज विभाग से लिये जाने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य में एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबियार बनाम राजस्थान राज्य में भी यह माना है कि जहां स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, वह स्थानान्तरण आदेश उचित है। एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन सक्षम स्तर पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ कृषि विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डीबी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य बनाम रेखा कुमारी में भी मंत्री स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना उचित माना है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रेखा कुमारी के मामले में कहीं भी यह निर्देश नहीं दिया है कि मंत्री से अनुमोदित होने का अंकन आदेश में किया जावे, अपितु यह निर्णित किया है कि मंत्री से बाद में अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी उचित है।

4. स्थानान्तरण के मामले में सक्षम स्तर मंत्री है और वर्तमान आदेश में सक्षम स्तर से अनुमोदन होना अंकित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत–ड में यह प्रावधान है कि न्यायालय अवधारित कर सकेगा कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से संपादित किये गए हैं। उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण को देखे तो आलोच्य आदेश में यह अंकित है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ऐसे में यह अवधारणा की जा सकती है, कि जो सक्षम स्तर से अनुमोदन किये जाने का इन्द्राज किया गया है वह मंत्री के स्तर पर अनुमोदन कराने के पश्चात् किया

गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रकट नहीं होती है।

5. अपीलार्थी का अन्य तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से किया गया हो। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6. आक्षेपित आदेश 16.12.2022 में अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्यहित में किया जाना अंकित है। आक्षेपित आदेश दुर्भावनापूर्वक किया जाना प्रकट नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)